संघर्ष संवाद

सितम्बर 2017 **नई दिल्ली**

साथियों,

गोविंद पांसारे, नरेंद्र दाभोलकर तथा प्रोफेसर एम.एम.कलबुर्गी की हत्या के पश्चात हिंदुत्ववादी ताकतों के अगले निशाने पर आईं वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश। प्रोफेसर एम.एम. कलबुर्गी की तरह ही हत्यारों ने 5 सिंतबर 2017 की शाम बंगलुरु में गौरी के घर का दरवाजा खटकाया और जैसे ही वह बाहर निकलीं उन्हें गोली मार दी।

अपने निर्भीक और बेबाक विचारों के लिए जाने जानी वाली गौरी लंकेश अन्य तीन की तरह ही देश में फैले मौजूदा आंतक के माहौल तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर आवाज उठा रही थीं। और इसी वजह से केंद्र सरकार की सरपरस्ती में चल रहे हिंदुत्व आंतकवादियों के निशाने पर थीं। उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थीं।

पांसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी और अब लंकेश की हत्या मात्र व्यक्तियों की हत्या नहीं है। यह उन विचारों की हत्या का प्रयास है जो गलत को गलत बोलने का दम रखता है। यह उस असहमति में उठे हर स्वर की हत्या का प्रयास है जो मौजूदा शासनकाल में जनता के उपर हो रहे दमन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। तथा गौरी लंकेश की हत्या करने वाली ताकतें समाज में हर तरह की तार्किकता और न्याय-अन्याय की बहस को खत्म कर देना चाहते हैं। छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ने वाली यह ताकतें सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाली हर ताकत को राष्ट्रद्रोही घोषित कर रही हैं और केंद्र सरकार की सरपरस्ती में खुले आम आतंक का माहौल पैदा कर रही हैं।

संघर्ष संवाद गौरी लंकेश की हत्या की कठोर निंदा करता है तथा समाज में अभिव्यक्ति की आजादी का पुरजोर समर्थन करता है।

दिल्ली
- संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट को साझे संघर्ष ही दे पायेंगे चुनौती : जन संघर्ष समन्वय समिति
- सरकार को जगाने के लिए अब तमिलनाडु के किसानों ने लगाई सांकेतिक फांसी
- जन विरोधी नीतियों के खिलाफ साझे जनसंघर्ष का ऐलान
- मनरेगा में काम के लिए जंतर-मंतर पहुंचे 16 राज्यों के मजदूर

राजस्थान
- बांगड़-बिड़ला सीमेंट प्लांट के खिलाफ जारी है सात साल से किसानों का आंदोलन
- सीकर किसान आंदोलन 13 दिन बाद सरकार के साथ समझौता

मध्य प्रदेश
- प्रधानमंत्री जी ! यह बांध का जश्न नहीं, मौत का जश्न है
- नर्मदा घाटी के विस्थापितों की निर्णायक जंग में पूरा देश एकजुट

महाराष्ट्र
- जैतापुर परमाणु पॉवर प्लांट : फ्रांसीसी कंपनी का नया प्रस्ताव
- खनन विरोधी आंदोलन के समर्थन में आये 40 देशों के जन संगठन

झारखण्ड
- जबरन भूमि अधिग्रहण, कॉर्पोरेट लूट और सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान
- सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ विधान सभा घेराव
- यूरेनियम माईन्स के विरोध में तुरामडीह विस्थापित समिति का धरना आश्वासन के साथ समाप्त

छत्तीसगढ़
- किसान आंदोलन विफल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला किसानों पर हमला
- किसानों पर सरकारी दमन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

उत्तराखण्ड
- एशिया के सबसे बड़े बांध से हिमालय खतरे में, विरोध में संघर्ष

उत्तर प्रदेश
- जनांदोलनों ने की राजबहादुर पटेल की रिहाई की मांग

गुजरात
- जिला मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक अधिकार अभियान का प्रदर्शन

असम
- अखिल गोगई राष्ट्रद्रोह के फर्जी प्रकरण में गिरफ्तार

दिल्ली

संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट को साझे संघर्ष ही दे पायेंगे चुनौती : जन संघर्ष समन्वय समिति

जन संघर्ष समन्वय समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन 30-31 अगस्त को राजस्थान के जयपुर शहर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में देश के 8 राज्यों से जनांदलोनों के 150 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सम्मेलन का आरंभ करते हुए जन संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक दीप सिंह शेखावत ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम इन दो दिनों में देश में चल रही संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट तथा उसके खिलाफ चल रहे जनसंघर्षों के बारे में चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे। जन संघर्ष समन्वय समिति के सह-संयोजक रामाश्रय यादव ने संगठन के सफर के बारे बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन के बाद उसमें लगे जनसंघर्षों को यह महसूस हुआ कि हमें एक सांझी लड़ाई की जरूरत है जिसके बाद 2012 में जन संघर्ष समन्वय समिति की स्थापना हुई। अपनी स्थापना के बाद से ही जन संघर्ष समन्वय समिति ने देश में चल रहे विभिन्न भूमि अधिग्रहण के आंदोलनों में हस्तक्षेप करने का भरसक प्रयास किया। आज जन संघर्ष समन्वय समिति देश के 8 राज्यों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ-साथ आक्रामक होते पूंजी के दौर में हमें यह महसूस होता है कि जन संघर्ष समन्वय समिति को विभिन्न मुद्दों पर चल रहे आंदोलनों को अब एकजुट करना होगा तभी हम एक निर्णयाक लड़ाई की तरफ बढ़ पाएंगे।

देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करते हुए किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष तथा जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. सुनीलम ने जन संघर्ष समन्वय समिति को सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज देश में एक धार्मिक उन्माद बनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और हमें इसके खिलाफ एक सशक्त संघर्ष खड़ा करना होगा। इसके लिए हमें संघर्षो में नए लोगों को जोड़ना होगा। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि संघर्षों के साथ-साथ हम लोगों के बीच वैचारिक एकता भी स्थापित करें।

विस्थापन विरोधी मंच के कुमार चंद मार्डी जी ने कहा कि पिछले 7 साल से राजस्थान के नवलगढ़ में चल रहा सीमेंट प्लांट विरोधी आंदोलन पूरे देश के जनांदोलनो को प्रेरणा दे रहा है। झारकंड में भी हजारों विस्थापित मजदूर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए झारखंड मुमेंटम किया जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों को सस्ती जमीन तथा सस्ती मजदूरी का वायदा किया। झारखंड समेत तीन राज्य अलग हुए थे छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड। यह तीनों ही राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और सरकार इनके दोहन के लिए पूंजीपतियों को पूरी छूट दे रही है। हमें इसके खिलाफ संघर्ष के लिए संयुक्त संघर्षों की आवश्यकता है।

नियामगिरी सुरक्षा समिति से लिंगराज आजाद ने कहा कि सरकार के आदिवासी आंदोलनों को माओवाद के साथ जोड़कर उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिसे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। नियामगिरी सुरक्षा समिति एक गांधीवादी संगठन है फिर भी सरकार इसे माओवादी घोषित कर रही है। जनांदोलनों पर राजकीय दमन आक्रामक हो रहा है और हमें इसे चुनौती देना होगा।

सम्मेलन में करछना आंदोलन के राज बहादुर पटेल की रिहाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर हुए राजकीय दमन के खिलाफ, देश में फैल रही सांप्रदायिकता, फासीवादी उभार के खिलाफ तथा पशु मेलों पर लगी रोक के खिलाफ, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा चलाए जा रहे किसान आंदोलन का समर्थन तथा मंदसोर किसान आंदोलन के समर्थन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

सम्मेलन ने कुमार चंद मार्डी को जन संघर्ष समन्वय समिति को संयोजक तथा कल्याण आनंद और रामाश्रय यादव को सह-संयोजक के रूप में चुना।

सरकार को जगाने के लिए अब तमिलनाडु के किसानों ने लगाई सांकेतिक फांसी

दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु का किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दो महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब अपने लिए फांसी की मांग की है। जंतर मंतर पर किसानों ने सांकेतिक फांसी लगाकर अपना दर्द बया किया।

अप्रैल के महीने में 41 दिनों के धरने के बाद तीन महीने बाद फिर एक बार 1 अगस्त 2017 को यह किसान जंतर-मंतर लौटे। तमिलनाडु के किसानों को प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना ही मलमूत्र तक खाया। किसानों का कहना है कि हमारे यहां सूखा पड़ा है जिसका हमें कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा, खराब मौसम के कारण हमारी फसलें खराब हो गईं जिसके बाद हमें उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, हम किसानों का कर्ज माफ करने से मना कर दिया गया। यहीं कारण है कि केंद्र सरकार ने हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हमें अपना मलमूत्र खाना पड़ रहा है।

नेशलन साउथ इंडिया रिवर्स इंटरलिंक फारमर्स एसोसिएशन के बैनर तले यहां जुटे किसानों ने जुलाई में सरकार से कुछ नई मांगें जोड़ी हैं, जिनमें कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन और किसान पेंशन (5000 रुपए प्रतिमाह) जैसी मांगें शामिल हैं।

इसके अलावा पहले से चले आ रहे तमाम मुद्दों को उन्होंने दोबारा उठाया है। मसलन फसलों की खरीद मूल्य लागत मूल्य से ज्यादा रखने, नेशनल वाटर वेज प्रोजेक्ट में एसी कामराज की अगुआई वाली समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग वे पहले भी उठाते रहे हैं। ये किसान कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज को संशोधित करने और उत्पादों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं।

किंतु बहुत हुआ किसान पर अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार के नारे के साथ केंद्र में आई मोदी सरकार ने इन किसानों की सुध लेने की भी जहमत अब तक नहीं उठाई है।

जन विरोधी नीतियों के खिलाफ साझे जनसंघर्ष का ऐलान : जन एकता-जन अधिकार आंदोलन

नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में 18 सितम्बर को देश के जन पक्षधर, वर्गीय और सामाजिक आंदोलनों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार की नव-उदारवादी और सांप्रदायिक नीतियों के विरूद्ध एकजुट संयुक्त संघर्ष तेज़ करने की ज़रूरत पर बल देते हुए जन एकता, जन अधिकार आंदोलन का ऐलान किया गया।

30 अक्टूबर को मशाल जुलूस

इस आंदोलन का सभी राज्यों और सभी ज़िलों में विस्तार किया जाएगा और 30 अक्टूबर को देश भर में जिला और तहसील स्तर पर जन एकता मशाल बैठकें और जुलूस निकाले जाएंगे।

सम्मेलन में देशभर के सौ से अधिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आंदोलनों के नेताओं ने भाग लिया। सभी ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज़ करने की अपील की। सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने फ़ासीवादी पूंजीवाद के आक्रामक तेवर के खिलाफ जनवादी संगठनों के एकीकृत प्रतिरोध को ना सिर्फ वक़्त की ज़रूरत बताया बल्कि मिलकर इस फ़ासीवादी तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए जुझारू शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान भी किया।

लगभग सभी वक्ताओं ने आरएसएस पोषित गुंडा तत्वों के संगठन और वर्तमान सरकार द्वारा समाज को बांटने और ग़रीब दलित, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, इसके खिलाफ संघर्ष कर रही संस्थाओं को भरपूर सहयोग देने की बात कही।

मज़दूरों, कृषि मज़दूरों और किसानों के सवालों को प्रमुखता से उठाते हुए, विभिन्न संगठनों द्वारा अक्टूबर और नवंबर में होने वाले राष्ट्र व्यापी प्रतिरोध को सफल बनाने में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी सामूहिक हिस्सेदारी को ज़रूरी बताया।

जन एकता, जन अधिकार, जन प्रतिरोध

सम्मेलन में तय किया गया कि जन एकता जन अधिकार आंदोलन साझा सवालों को लेकर काम करेगा और नवउदारवादी नीतियों और आरएसएस-बीजेपी गठबंधन की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए सभी संभव वाम और लोकतांत्रिक आंदोलनों, संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाने का प्रयास करेगा। यह आंदोलन पीपुल्स यूनिटी, पीपल्स राइट्स, पीपल्स रेजिस्टेंस- जन एकता, जन अधिकार और जन प्रतिरोध के लिए प्रयास करेगा।

संसद धरने और संसद मार्च का समर्थन

सम्मेलन ने केंद्रीय मज़दूर संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा संसद से पहले 9, 10, 11 नवंबर को तीन दिन के सतत धरने और किसान संगठनों के संयुक्त मंच के 20 नवंबर के संसद मार्च के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए समर्थन देने की घोषणा की।

सम्मेलन में हन्नान मुल्ला (AIKS), अमरजीत कौर (AITUC), के. हेमलता (CITU), अतुल कुमार अंजान (AIKS Ajoy Bhawan), राजीव डिमरी (AICCTU) , आरके शर्मा (UTUC), मनोज भट्टाचार्य (RSP), अनिल चौधरी (INSAF), मरियम धवले (AIDWA), कविता कृष्णन (AIPWA) इत्यादि ने अपने विचार रखे। इस अधिवेशन में एक आधार पत्र और एक मांग पत्र भी पेश किया गया, जिसपर सबने सहमति जताई।

सम्मेलन में किसान, खेतिहर मज़दूर, छात्र-युवा, महिलाओं, कर्मचारियों. दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पीड़ित वर्गों से जुड़े संगठनों अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मज़दूर, एटक, सीटू, एक्टू, ऐपवा, एडवा, एआईएडब्लूयू, एसएफआई, इंसाफ, आरएसपी आदि ने भाग लिया। (साभार : जनचौक)

मनरेगा में काम के लिए जंतर-मंतर पहुंचे 16 राज्यों के मजदूर

देश की राजधानी दिल्ली के बिलकुल बीचो-बीच जंतर-मंतर पर 11-15 सितंबर 2017 के बीच देश के 16 राज्यों से हजारों मनरेगा मजदूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हो रही अनियमतता को लेकर धरने पर बैठे। इन मजदूरों का कहना है कि कई सालों से उन्हें योजना में काम मिल ही नहीं रहा है और अगर मिलता भी है तो सरपंच और नरेगा अधिकारी आधे पैसे रिश्वत में ले लेते हैं। यही नहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के कानूनी प्रावधानों का बेरहमी से उल्लंघन किया जा रहा है। नरेगा के अधिकारों का विस्तार करने बजाय सरकार उनको सिकोड़ती जा रही है। नरेगा संघर्ष मोर्चा, जिसमें नरेगा पर काम कर रहे कई संगठन, संस्थाएं व लोग शामिल हैं, निम्न मांगे की है;

मौज़ूदा अधिकारों का सख्ती से पालन

पर्याप्त बजटः नरेगा अपर्याप्त बजट सरकार की इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता की कमी झलकता है। 2009-10 में नरेगा पर खर्च देश की आमदनी का 0.6 प्रतिशत था, परन्तु 2015-16 तक यह घटकर 0.27 प्रतिशत हो गया। हालांकि 2016-17 में यह अनुपात 0.39 था, परन्तु यह भी बहुत अपर्याप्त था चूंकि वित्तीय वर्ष के अंत तक 9,124 करोड़ रूपए का भुगतान लंबित था। सरकार को नरेगा के बजट के लिए कोई सीमा नहीं बांधनी चाहिए और राज्यों के लेबर बजट स्वीकार करते समय उनके बीच कोई भेद भाव नहीं करनी चाहिए।

काम की मांग का पंजीकरणः सब काम की मांग का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना है (मनरेगा के मैनेजमेंट इन्फोमेशन सिस्टम (एमआईएस में भी) और मजदूरों को हाथों - हाथ तिथि व हस्ताक्षर के साथ रसीद मिलनी चाहिए, मज़दूरों के पास काम का आवेदन करने के कई विकल्प होने चाहिए।

100 दिन का काम मिलेः पिछले पांच वर्षो में जिन परिवारों को नरेगा का काम मिल पाया है, उन्हें औसतन केवल 45 दिनों का ही रोजगार मिला। किसी भी स्थिति में मज़दूरों को उनके समय पर काम पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो उनको तुरंत बिना आवेदन करने की आवश्यता के बेरोजगारी भत्ता मिले, जिसकी राशि सीधे उनके खाते में जाए।दलितों व आदिवासियों तक काम पहुंचाने के विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हैः इन समुदायों की नरेगा में भागीदारी 2009-10 में 51 प्रतिशत से 2016-17 में 39 प्रतिशत तक आ गई है।

मज़दूरी दर में बढ़ोत्तरीः नरेगा मज़दूरी के वास्तव मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है और कई राज्यों की नरेगा मजदूरी उसकी न्यून्तम खेतिहर मज़दूरी से भी कम है। कम मज़दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है मज़दूरों का नरेगा मे काम न करने का। नरेगा मज़दूरी तुरंत कम से कम राज्य की न्यूनतम खेतिहर मजदूरी के बराबर की जाए और जल्द ही 15 वें भारतीय मज़दूर सम्मेलन में तय किए गए मानदंडो व रैणकौस मामले में सर्वोच्य न्यायलय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार तय की जाए।

मज़दूरी भुगतान में विलम्ब कम करनाः पिछले पांच वर्षों में आधी से भी कम मजदूरी भुगतान समय पर हुआ है। भुगतान में निरंतर व लम्बे विलम्ब के कारण मज़दूरों का नरेगा के प्रति रूझान कम हो रहा है। 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान के नियम का सख्ती से पालन किया जाए।

मज़दूरी भुगतान में विलम्ब के लिए पूरा मुआवजा मिलेः नरेगा कानून के अनुसार मजदूरों को समय पर मज़दूरी न मिलने की अवस्था में मुआवजा मिलना है। अभी फंड ट्रांसफर ऑर्डर पर द्वितीय हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर हो जाने के केंद्र सरकार मजदूरी का भुगतान हो जाना मानती है। परन्तु, इस प्रक्रिया के बाद भी मज़दूर के खाते में मज़दूरी जाने में कई दिन लग जाते हैं। मज़दूरी का भुगतान तब ही माना जाए जब राशि मज़दूर के खाते में चली जाए और मजदूरों को विलम्ब की पूरी अवधि के लिए मुआवजा मिले।

मुआवजे की राशि में बढ़ोतरीः अभी भुगतान में विलम्ब की स्थिति में मज़दूरो मिलने मुआवजे का दर हर दिन देय मजदूरी का 0.5 प्रतिशत तक बढ़ना चाहिए।

जिससे नरेगा मुआवजे की राशि मज़दूरी भुगतान कानून के अनुसार मजदूरों के हक के समीप आए।

बिना किसी शर्त के सब अधिकार मिलनाः नरेगा मज़दूरों को बिना कोई शर्त (जैसे होना या शौचालय होना) उनके सब अधिकार मिले।

आपदा में 200 दिन का कामः सूखे व बाढ़ जैसी आपदाओं में नरेगा का सलाना काम का अधिकार तुरंत 200 दिनों का हो जाना चाहिए, साथ ऐसे नरेगा का काम चिन्हित होने चाहिए जो इन आपदाओं में राहत पहुचाने व पुनर्वास के प्रयासों में योगदान कर सकें।

विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयनः कानून में ही नरेगा विकेन्द्रीकृत कार्यन्वयन की परिकल्पना की गई थी जिसके अनुसार हर राज्य को अपनी रोजगार गारंटी योजना बनानी थी। परन्तु बाद में नरेगा पर महात्मा गांधी का ठप्पा लगाकर राज्य-स्तरीय योजनाओं की जगह दिल्ली से चलने वाली एक राष्ट्रीय योजना लाई गई। दिल्ली से जो निरंतर निर्देश मिलते रहते हैं, उनसे अक्सर धरातल पर कई समस्याएं होती हैं। नरेगा का विकेन्द्रीकृत भाव बना रहे जिसमें योजनाओं के नियोजन, कार्यन्यन व निगरानी में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की अहम् भूमिका हो।

अधिक जवाबदेहीः नरेगा कानून में जवाबदेही के कई प्रावधान कई प्रावधान हैं, बेरोजगारी भत्ता, समय पर भुगतान न मिलने के लिए मुआवजा, दंड व समयबद्ध शिकायत निवारण। परन्तु इन सब प्रावधानों को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा या तो नजरंदाज या कमजोर किया जाता रहा है। कानून की सभी जवाबदेही के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली अपनाई जाए; उदाहरण के लिए जनता सूचना प्रणाली के द्वारा मजदूरों को एमआईएस में दी गई जानकारी प्राप्त कर पाना। सामाजिक अंकेक्षण कानून के प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व सी.ए.जी के नियमों के अनुसार हो।

एमआईएस में संशोधनः हालांकि एमआईएस का नरेगा से सम्बंधित जानकारी को सार्वजनिक करने में बहुत बड़ा योगदान है, इसको कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जोड़ने से कई प्रकार से मजदूरों के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। उदाहरण के लिए, मीस में अब ऐसी तिकड़म लगा दी है कि एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लिए 100 दिन से अधिक काम की मांग एमआईएस में पंजीकृत नही हो सकती, जबकि यह जरूरी नहीं है कि 100 दिन की काम की मांग का मतलब हो 100 दिन का काम करना। साथ ही साथ, मस्टर रोल- स्थानीय भाषा में होने चाहिए, जिससे उनको अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें।

अधिकारों का विस्तार

काम के दिनों मे बढ़ोत्तरीः नरेगा में काम का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति को साल में 240 दिन के रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए।

और सख्त दंडः नरेगा कानून के हनन को कम करने के लिए और सख्त दंड होने चाहिए। कानून की धारा 25 के अनुसार कानून के किसी भी प्रावधान के उलंघन पर 1,000 रूपये का अर्थदड लग सकता है। इस धारा को सक्रीय करने वे दंड की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। नरेगा राशि के गबन की स्थिति में वसूली के लिए और कड़े दंड होने चाहिए।

असुरक्षित वर्गों के लिए विशेष अधिकारः महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों व आदिम जनजाति की नरेगा में भागीदारी बढाने के लिए उनसे अन्य मज़दूरों की तुलना कम काम करवाया जाना चाहिए।

मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षाः नरेगा मजदूरों का एम्प्लौईज़ स्टेट इंश्योरंस मे नामांकन होना चाहिए औश्र उन्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक महीने का मज़दूरों मातृत्व अवकाश मिले।

कार्यस्थल सुविधाओं में बढ़ोत्तरीः कार्यस्थल सुविधाओं में शौचालय भी शामिल होना चाहिए।

बांगड़-बिड़ला सीमेंट प्लांट के खिलाफ जारी है सात साल से किसानों का आंदोलन

28 अगस्त 2017 को राजस्थान के नवलगढ़ जिले के नवलगढ़ शहर में भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति ने अपने धरने के सात साल पूरे होने के अवसर पर इलाके में एक बड़ी रैली निकाली जिसका समापन नवलगढ़ तहसील के सामने एक विशाल जनसभा के रूप में किया गया। जनसभा में स्थानीय निवासियों समेत देश के प्रमुख जनांदोलनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

गौरतलब है कि नवलगढ़ में पिछले सात सालों से सीमेंट प्लांट व खनन के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 2007 में नवलगढ़ के 18 गांवों की 72 हजार बीघा जमीन को सीमेंट फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित करने का नोटिस आया था। जमीन को रिको द्वारा अधिग्रहित किया जाना था। इस अधिग्रहण से न केवल इस इलाके 7000 परिवार तथा कृषि जो उनकी आजीविका का प्रमुख साधन प्रभावित हो रहा है। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस इलाके की आम जनता पिछले सात सालों से अपने धरने को जारी रखे हुए है और हर साल इसका एक वर्ष पूरा होने पर एक विशाल रैली तथा जन सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें न केवल राजस्थान अपितु देश के विभिन्न हिस्सों से जनसंघर्षों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम की शुरुआत एक रैली से की गई जो कि रामदेवरा गांव से शुरु हुई। महिलाओं बच्चों समेत इस रैली में लगभग 1000 लोगों ने भागीदारी की। पूरे जोश-खरोश के साथ शुरु हुई यह रैली नवलगढ़ तहसील पर आकर एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई।

जनसभा की शुरुआत भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के संयोजक दीपसिंह शेखावत ने किया। दीपसिंह शेखावत ने सभा में आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए आंदोलन की मौजूदा स्थिति का वर्णन किया तथा इस बात को दोहराया कि व्यापक आबादी अभी भी इस बात पर अडिग है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे।

जनसभा में उपस्थित जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के राजस्थान प्रभारी कैलाश मीणा जी ने कहा कि नीमकाथाना में चल रहे अवैध खनन विरोधी आंदोलन के साथी नवलगढ़ आए थे और उन्होंने नवलगढ़ के साथियों को अपने इलाके में बुलाया जहां नवलगढ़ के साथियों के साथ स्थानीय प्रशासन तथा गुंडों ने असम्मानजनक व्यवहार किया। मीणा जी ने बताया कि सरकार इसी तरह जनसंघर्षों के साथियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है।

जन संघर्ष समन्वय समिति से आए मोना सूर जी ने कहा कि आज इस देश की मेहनतकश आबादी जो इस देश को चलाती है वही अपने अधिकारों से महरूम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा शोषणकारी तंत्र तभी बदलेगा जब इस देश का मजदूर किसान अपने संसाधनों पर अधिकार का दावा पेश करेगा। मोना सूर जी ने कहा कि एक ऐसा गैर-बराबरी पर आधारित समाज, जिसमें दुनिया की समस्त धन-संपदा का 90 प्रतिशत हिस्सा 100 परिवारों के हाथों में कैद है वह जीने लायक नहीं है और जितनी जल्दी हो सके इस इस समाज को बदल देना चाहिए।

स्वराज अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक अजीत झा ने कहा कि नवलगढ़ का यह संघर्ष देश के अन्य जनसंघर्षों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज इस सभा में देश के विभिन्न हिस्सों-पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दिल्ली इत्यादि राज्यों से जनसंघर्षों के प्रतिनिधि आए हैं जो दिखाता है कि संघर्षों की एकता बढ़ रही है। अजीत झा ने कहा कि

नवलगढ़ के किसानों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका जमीनों पर कब्जा है। कागजों में चाहे जो भी होता रहे लेकिन यदि किसान अपनी जमीनों पर डटे रहे तो उन्होंने कोई भी यहां से हटा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि नवलगढ़ के साथ पूरे देश के संघर्ष खड़े हैं और सभी एक-दूसरे की लड़ाई में सहयोग करते रहेंगे।

स्वराज अभियान के पश्चिम बंगाल के समन्वयक अमित शाह ने कहा कि इस देश में ऐसी लड़ाई किसानों ने दो बार जीती है- पहली नंदीग्राम में और दूसरी सिंगूर में। और उनकी जीत देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आप जीत सुनिश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि जमीन की लड़ाई हम लड़ने नहीं गए बल्कि वह आए हैं हमारी जमीनें छीनने। उन्होंने कहा कि मैं सीमेंट प्लांट का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं वह बनना चाहिए लेकिन वह बिड़ला और वांगड़ के घर में बननी चाहिए हमारी जमीनों पर नहीं।

किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व विधायक तथा जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक डा. सुनीलम ने कहा कि जिस तरह धर्म गुरुओं से जनता को कल्याण की उम्मीद है वैसे ही उसे मोदी से भी उम्मीद है। 2014 में मोदी ने जनता को हर अधिकार और अच्छे दिनों का वायदा किया था, लेकिन ऐसे ठग हमें लंबे समय से ठगते आए हैं।

उन्होंने कहा कि हमें किसी से कल्याण की उम्मीद नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें अपने आंदोलन और अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यदि हम अपनी जमीनों पर टिके रहे तो हमें कोई निकाल नहीं सकता। उन्होंने नर्मदा घाटी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई तक घाटी खाली कर देने का आदेश दिया था लेकिन वह अभी तक एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं कर सके। जनता कानून की दलील देते हुए कह रही है कि 40000 परिवारों को आप अपने पूर्व के पुनर्वास तथा रोजगार के वायदों को पहले पूरा करो तभी हम इलाका खाली करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज हर पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट की दलाली कर रही है। ये कंपनियां चुनावों में अपना पैसा खर्च करके उनसे अपने मुताबिक काम करवाती है। हमें इस राजनीतिक चरित्र को बदलना है। उन्होंने कहा कि हमें इन राजनीतिक पार्टियों की मानसिक गुलामी से आजादी होना होगा।

उन्होंने कहा कि इन सीमेंट फैक्ट्रियों से सिर्फ 18 गांवों की जमीन ही नहीं जाएगी बल्कि आस-पास के गांवों की खेती बंजर हो जाएगी और तरह-तरह की बीमारियां हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम जनसंघर्ष के साथी आपके साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं।

सभा के समापन की तरफ बढ़ते हुए भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति, नवलगढ़ के अध्यक्ष ने सभी वक्ताओं तथा सभा में उपस्थित लोगों का धन्यवाद देते हुए जमीन न देने के संकल्प को दोहराया तथा आंदोलन को तन-मन-धन से सहयोग करने की अपील की।

सभा को समाप्त करते हुए सभा में उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों समेत सभी स्थानीय निवासियों ने एसडीम को ज्ञापन सौंपा। जो निम्न था-

28 अगस्त 2017

प्रति,
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर
राजस्थान
द्वारा- एस.डी.एम, नवलगढ़, जिला - झुंझुनु, राजस्थान

विषय : नवलगढ़ में श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के बाबत
महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम नवलगढ़ के निवासी पहले भी कई बार आपसे अपनी जमीनें बचाने के लिए गुहार कर चुके हैं और नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने पिछले 7 सालों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 7 सालों से जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के न तैयार होने के बावजूद सरकार लगातार एकतरफा कार्यवाही करती जा रही है।

हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और खनन के लिए नवलगढ़ की लगभग 72,000 बीघे भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित हैं। इस 72,000 बीघे में 18 गांव है जिनमें 45,000 से भी ज्यादा लोग पीढ़ीयों से यहां रह रहे हैं। यह जमीनें न सिर्फ उनकी जीविका का साधन है, बल्कि उनके अस्तित्व की पहचान हैं। प्रस्तावित भूमि बहुफसलीय भूमि है जिसको प्रशासन द्वारा बंजर दिखाने का भी प्रयास किया गया। बहुफसलीय जमीनों के साथ शमशान घाट, आम रास्ते, तीर्थ स्थल, गोचर भूमि भी श्री सीमेंट कंपनी के लिए रिको के नाम की जा चुकी है। इनके अलावा पर्यटन स्थल, पर्यावरण, जोहड़, खेजड़ी, मोर इत्यादि को हानि पहुंचेगी। इस भूमि अधिग्रहण में 45,000 लोगों के विस्थापन से इस पूरी आबादी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। अधिग्रहण में जा रही इस जमीन का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि का है और यहां के निवासी मुख्यतः किसान हैं जिनका उगाया अन्न इस देश की जनता का पेट भरता है।

इस अधिग्रहण के प्रस्ताव के समय से ही किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं जिसके बावजूद प्रशासन बिना किसानों की सहमति और मुआवजा उठाए ही उनकी जमीनें राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेसटमेंट कॉर्पोरेशन (रिको) के नाम कर चुका है जो कि संविधान का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। प्रशासन द्वारा लगातार इलाके में समाचार-पत्रों के माध्यम से यह खबर फैलाकर कि बहुत जल्द इस क्षेत्र को जबरन खाली करा दिया जाएगा किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि किसान डर कर अपना आंदोलन छोड़ दें जबकि किसान इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि वह जान दे देंगे किंतु अपनी जमीनें नहीं छोड़ेगें।

इस आंदोलन में वृद्ध से लेकर गांव के बच्चे और महिलाएं सभी सक्रिय हैं। यदि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की जोर जबर्दस्ती की कार्रवाई होती है तो उसमें होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सीधी प्रशासन की होगी। छह साल से अपना आंदोलन शांतिपूर्वक लड़ रहे यह किसान अपने देश के संविधान में पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संविधान के तहत दिए गए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ही अपने विरोध को दर्ज करवा रहे हैं। किंतु प्रशासन सभी संवैधानिक प्रावधानों को दर किनार कर चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए हजारों परिवारों के जीवन की बलि चढ़ाने पर तुला हुआ है।

हम प्रशासन के इस कृत्य का तीव्र विरोध करते हुए मांग करते हैं कि-

1. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तत्काल रद्द किया जाए।
2. रिको के नाम दर्ज की गई जमीनों को वापस किसानों के नाम पर दर्ज किया जाए।
3. रिको तथा कंपनियों के पक्ष में जमीनों की गलत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं।

साथ ही अभी तक कंपनियों ने जितनी जमीनें किसानों से खरीद ली हैं वह जमीनें अब आवारा पशुओं का अड्डा बन चुकी हैं। यह आवारा पशु आस-पास के खेतों में घुसकर फसलें चौपट कर रहे हैं और गांवों में भी लोगों की सम्पत्ति का नुकसान कर रहे हैं तथा आते-जाते लोगों पर सींग चला रहे हैं। अभी तक कई लोग इन पशुओं से घायल हो चुके हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वह इन आवारा पशुओं को काबू में कर किसानों तथा स्थानीय निवासियों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

इस अधिग्रहण की वजह से इस क्षेत्र के निवासियों तथा पर्यावरण के उपर आने वाले संकट के मद्देनजर आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर यथा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

द्वारा

भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति, नवलगढ़ तथा प्रभावित किसान

सीकर का किसान आंदोलन 13 दिन संघर्ष के बाद सरकार के साथ समझौते पर खत्म

1 सितंबर 2017 से राजस्थान के सीकर में चल रहा किसान आंदोलन अंततः 13 सितम्बर की रात वापस ले लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के अमरा राम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से वार्ता के बाद आंदोलन वापस ले लिया और किसानों से जाम खोलने की अपील की।

गौरतलब है कि राजस्थान के सीकर शहर में बीते 1 सितंबर से कर्ज माफी समेत 11 मांगों को लेकर किसान महापड़ाव चल रहा था। 30-40 हजार किसानों की भागीदारी वाला यह आंदोलन 13 सितंबर तक व्यापक रूप ले चुका था। 13 सितंबर तक इस आंदोलन में 18 जिलों के किसानों के अलावा, व्यापारी, शिक्षक संघ, ट्रेड यूनियन, डी.जे.यूनियन, ऑटो चालक यूनियन समेत समाज के विभिन्न तबके इसमें शामिल हो चुके थे। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण पक्षों में से एक था इसमें महिलाओं की भागीदारी। भारी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी कर आंदोलन को व्यापक और जोशीला बनाया। 12 सितंबर को सरकार के साथ वार्ता विफल हो जाने के बाद किसान और ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने सीकर से गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, झुंझनु की तरफ जाने वाली सड़कें जाम कर दी गई। अंततः 14 सितंबर के दिन में एक बजे से सरकार के साथ वार्ता शुरु हुई। चार चरणों में यह वार्ता 14 सितंबर की सुबह 1 बजे तक चली। वार्ता खत्म होने बाद 14 सितंबर की सुबह अमरा राम ने वार्ता को सफल बताते हुए किसानों से महापड़ाव समाप्त करने तथा जाम खोल देने की अपील की।

सरकार के साथ हुई वार्ता में दोनों पक्षों के बीच निम्न समझौता हुआ-

क्र.सं.	मांग	विभागीय टिप्पणी
1.	किसानों के सम्पूर्ण कर्जे माफ़ किए जाए।	किसानों के 50,000 रु. तक कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय के लिए विभिन्न राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब एवं अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं इसके राजस्थान की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रभाव के अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण हेतू, एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं तकनीकि कमेटी गठित किया जाना प्रस्तावित है। जो इस संबंध में समस्त संबंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
2.	किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाये। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।	कृषि मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वामीनाथन कमेटी टास्क फोर्स की 80 प्रतिशत से ज्यादा सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं; कृषि विकास की समस्त योजनाएं डॉक्टर एम.एस स्वामीनाथन की टास्क फोर्स की सिफारिशों पर ही आधारित हैं। लागत मूल्य गन्ना एवं एम.एस.पी सिफारिशों में संशोधन हेतू भारत सरकार को पुनः निवेदन किया जाएगा। एम.एस.पी खरीद हेतू मंडी टैक्स में रियायत स्वीकार योग्य एवं शीघ्र निर्णय लेकर खरीद 2017 उत्पाद के लिए इसी हफ्ते खरीद केंद्र खोले जाएंगे।

3.	पशुओं के बेचने पर लगाई गई पाबंदी का कानून, 2017 वापस लिया जाये। पशु व्यापारियों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जाए।	पशुओं के बेचने पर लगाई गई पाबंदी का कानून, 2017 के क्रियान्वयन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। पशु व्यापारियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।
4.	आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाए। बछड़ों की बिक्री पर लगी रोक हटाई जाए।	बछड़े की निर्यात हेतु आयु सीमा तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किए जाने की प्रक्रिया कैबिनेट स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट शीघ्र आने के प्रयास हैं। गौशालाओं की सुदृढ़ीकरण सतत प्रक्रिया है। प्रायोगिक तौर पर तारबंदी पर अनुदान योजना जारी है। वन अधिनियम में संशोधन हेतू भारत सरकार को सिफारिश भेजी जाएगी।
5.	सहकारी समिति के कर्जो में कटौती बंद की जाए, सभी किसानों को फसली ऋण दिया जाए.	सहकारिता मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 57 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए गए हैं जबकि विगत सरकार द्वारा समकक्ष अवधि में मात्र 24.87 हजार करोड़ ऋण ही वितरित किए गए थे। इस क्षेत्र में भारत में राज्य का प्रथम स्थान है। वर्ष 2017-18 में ब्याज मुक्त फसलीय ऋण के 15000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 8803 करोड़ की राशि 21.16 लाख कृषकों को वितरित की गई है। शेष राशि रबी 2017-18 में वितरित की जाएगी।
6.	60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 5 हजार रूपए मासिक पेंशन दी जाए।	वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्ध व्यवस्था पेंशन देय है। पात्रता में संशोधन हेतू उचित स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। मई 2017 से 75 वर्ष तक की आयु हेतू 500 रु. इससे अधिक आयु हेतू 750 रु. प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन देय है। आंदोलनकर्ताओं ने भी स्वीकारा कि 5000 रु. की राशि न भी हो तो सम्मानजनक राशि 2000 पर विचार किया जाना चाहिए।
7.	बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए.	वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है।
8.	सीकर जिले के वाहनों के जिले में टोल मुक्त किया जाए।	वर्तमान में स्थानीय वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर दस से बीस किलोमीटर के दायरे में रियायती दर पर पास उपलब्ध कराने का प्रावधान है अन्य मांगों हेतू सक्षम स्तर पर विचार किया जाएगा।
9.	सीकर जिले को नहर से जोड़ा जाए।	सिंचाई मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नहरी तंत्र की क्षमता वृद्धि हेतू राज्य सरकार द्वारा पंजाब सरकार के साथ एम.ओ.यू के तहत कार्रवाई की जा रही है। एवं समय समय पर दिए गए सुझावों पर भी कार्रवाई की जाती है।
10.	किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त दी जाए।	मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को 90 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली दी जा रही है। अन्य जो शिकायतें किसानों की हैं वह स्थानीय स्तर पर वार्ता कर निपटाई जा सकती हैं।
11.	दलितों,अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाई जाए. खाद्य सुरक्षा व मनरेगा को मजबूती से लागू किया जाये।	दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार की संख्या/दर में निरंतर गिरावट आई है एवं राज्य सरकार इसे और कम करने को कृत संकल्प है। कोई प्रकरण विशेष/मुद्दा हो तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश

प्रधानमंत्री जी ! यह बांध का जश्न नहीं, मौत का जश्न है

आख़िरकार नर्मदा बांध का उद्घाटन हो ही गया और इसके लिए दिन चुना गया, मोदी जी का जन्मदिन! मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन बांध का उद्घाटन कर इस बात पर मुहर लगा दिया की वह इस देश की करोड़ों मेहनतकश जनता का नहीं बल्कि अबानी-अडानी जैसे कॉर्पोरेट मालिकों के लिए प्रधानमंत्री है। 40 हजार विस्थापितों का पुनर्वास पूरा किए बिना यह बांध खोल कर शिवराज और उनके आका नरेंद्र मोदी ने मौत का जश्न मनाया है। पढ़े नर्मदा बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट;

सरदार सरोवर से हो रहे विनाश, थोपा जा रहा विस्थापन को चुनौती, देते हुये नर्मदा घाटी के लोगों का संघर्ष चोटी पर पहुंचते ही मध्यप्रदेश सरकार ने न सिर्फ दमनकारी रूख अपनाया, बल्कि अब सरदार सरोवर परियोजना में मध्यप्रदेश के किसान, मजदूर, अन्य सभी व्यवसायिकों की आहूति देने की तैयारी भी शिवराज सिंह कर रहे हैं। यह मात्र राजनैतिक स्वार्थ के अलावा कोई और संकेत नहीं है। मध्यप्रदेश शासन और स्वयं मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि सरदार सरोवर प्रभावित लाखों लोग, करीब 40 हजार परिवार, आज भी बांध के 214 कि0मी0 फैले जलाशय यानि डूब क्षेत्र में ही बसे हैं। कानून और सर्वोच्च अदालत के आज तक के चार फैसलों को ताक पर रखकर, प्रदेश शासन ने करोड़ों रूपयों के ठेके और 900 करोड़ से ठेकेदार-भ्रष्टाचारी अधिकारी-दलालों को फिर से शासन की तिजोरी और विस्थापितों के अधिकार लूटने का मौका दिया। अवैध मार्ग अपनाकर मात्र तात्कालिक (टेम्परेरी) चार महींनों तक के आवास, पशुओं को चारा-पानी व भोजन की व्यवस्था करने में लगे अधिकारी-कर्मचारी क्या नहीं जानते कि स्थाई व कानूनी पुर्नवास की परिभाषा क्या है? आजीविका और आवास के बिना पुनर्वास संभव है?

सब कुछ जानते हुये भी, विस्थापितों की संगठित शक्ति की उपेक्षा कर मोदी जी के 17 सितम्बर 2017 के जश्न में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि उन्हें नर्मदा की भक्ति या नर्मदा की सेवा का मोल नहीं, उन्हें भी मोदी जी की रीति/राजनीति के लिये नर्मदा को बंधक बनाना मंजूर है। निमाड़ की उपजाऊ धरती, नर्मदा से जुड़ी प्रकृति और किसानी संस्कृति के विध्वंस पर ही चलेगी चुनावी हवस। यही कारण है कि अपने लाखों लोगों की पीढ़ियों से बसे गांवों की मौत का जश्न मनाया जायेगा। क्या जश्न-ए-मौत से मनाया जायेगा 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन? बांध का देश को लोकार्पण और नर्मदा घाटी की मौत से इसके सपूत-पुत्रिया, का प्रदेश के शासनकर्ताओं द्वारा समर्पण? गुजरात की अडाणी-अंबानी-कोकाकोला जैसी कंपनियों के साथ राज्य और केन्द्र सरकार के जुड़ाव के हित में राज्य और यहां के किसान, आदिवासी, दलित, मजदूर, मछुआरो के हितों पर बिना हिचकिचाहट चोट करेगी शिवराज सिंह सरकार तो देश की संवेदनशील जनता भी उन्हें नहीं बखशेगी।

आज न गुजरात को पानी की जरूरत है, न मध्यप्रदेश को बिजली की। फिर भी गुजरात की नर्मदा यात्रा मात्र चुनाव प्रचार यात्रा साबित होगी। मोदी जी के सपने तो गुजरात की जनता और कार्पोरेट्स को नर्मदा से लाभों के सपने दिखाकर उनके वोट बटोरने की है, क्या मध्यप्रदेश शासन नर्मदा यात्रा में 1600 करोड़ खर्च के बावजूद विस्थापितों को, घाटी को कुचलकर नहीं के बराबर लाभ देने वाली इस योजना का सहारा ले पायेगी या अपनी नौका डूबाकर विस्थापितों के साथ अपने भी हितों का त्याग कर देगी ?

नर्मदा घाटी के विस्थापितों की निर्णायक जंग में पूरा देश एकजुट

22 जुलाई, 2017 को नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बाँध विस्थापितों ने अपनी बात राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के साथियों तक पहुंचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत लोकमंच का आयोजन किया। लाखों लोगों की पुकार सुनकर देशभर के अनेक राजनीतिक दलों से नेतागण निसरपुर पहुंचे और अपना पूर्ण समर्थन नर्मदा घाटी के लोगों की 32 सालों से चल रही निर्णायक मोड़ पर खड़ी न्याय व विस्थापन के खिलाफ की लड़ाई को दिया, जिस आंदोलन ने पिछले तीन दशक में विकास के सवाल पर पूरे देश में एक जागृति फैलाई है और कई आंदोलनों को लड़ने और जीतने का जज्बा दिया है।

सभी नेतागण सभा में पहुँचने से पहले रास्ते में पड़ रहे मूलगाँव व वसाहट की स्थिति का खुद जायजा लिया और सरकार के सफ़ेद झूठ को सामने से देखा। लगभग 11 बजे शुरू हुई सभा में सिर्फ 2 घंटे के अन्दर 50000 लोगों का जमावड़ा हो चूका था जिसमें महिलाएं अपने अपने पैदावार, खेती के औजार, व अन्य प्रतीक लेकर आये जो आज मध्य प्रदेश, गुजरात व केंद्र सरकार के अमानवीय और गैर जरुरी जिदों के कारण डूब व जबरन बेदखली की आखिरी कगार पर खड़े हैं। जहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में नर्मदा घाटी के लोगों के सम्पूर्ण पुनर्वास के बारे में झूठ पर झूठ बोल रही है वहीँ नरेन्द्र मोदी गुजरात में सरदार सरोवर बाँध के गेट्स 12 अगस्त, 2017 को औपचारिक रूप से बंद करने के अवसर पर उत्सव का प्रयोजन नर्मदा घाटी के लाखों लोगों को डूबा कर करना चाहती है।

मध्य प्रदेश के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार सरोवर बाँध मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अभिशाप बन गयी है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, हमारे समय ऐसा नहीं था और जब भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि लोगों की समस्या लेकर आते थे उन्हें सुना जाता था। आज तो मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि जब सरकार 31 जुलाई को नर्मदा घाटी खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है तो उसी आदेश में यह कहाँ लिखा है कि टिन शेड बनवाये जाए? जिसमें लाखों करोडो रुपये खर्च किये जा रहे है। ऐसी ही नौटंकी उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा के समय किया जहाँ एक तरफ घने जंगलों को डूबा कर नए पौधे लगाने की बात सरकार कर रही है। इसमें अपने चेहरे चमकाने के लिए किये गए प्रचार प्रसार के बजाये अगर नर्मदा घाटी के विस्थापितों के लिए किया होता तो लोगों का कुछ भला होता।

मेधा पाटकर ने संवाद करने की आंदोलन की कोशिश पर कहा कि अब नर्मदा घाटी के लोगों को भोपाल के गोपाल से कोई संवाद की अपेक्षा नहीं रही। पहले दिल्ली में पुलिस द्वारा लोगों को गिरफ्तार करवाने के बाद भोपाल में भी गिरफ्तारी दोहराने के बाद लोग पूरी तरह सरकार की जन विरोधी मंशा समझ चुके है। लाखों लोगों को डूबा कर मध्य प्रदेश के लोगों को एक बूँद भी पानी नहीं मिलने वाला और वहीँ गुजरात में कोका कोला, फोर्ड कंपनी के लिए लाखों लीटर पानी हर रोज दिया जा रहा है। नर्मदा घाटी के लोगों के साथ अभूतपूर्व अन्याय हो रहा है वो भी सिर्फ गुजरात चुनाव जीतने की जिद में। मध्य प्रदेश के लोगों की आहुति का उत्सव मनाते हुए 17 सितम्बर 2017 के दिन खुद नरेंद्र मोदी बाँध के गेट्स औपचारिक रूप से बंद कर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया हैं।

सभी दलों के नेताओं ने साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि इस गंभीर मुद्दे पर देश के सदनों में गंभीर चर्चा होनी समय की मांग है और सोमवार से सभी दल सर्व सम्मति से नर्मदा घाटी के विस्थापन के मुद्दे को मध्य प्रदेश से लेकर राज्य सभा तक में उठाएंगे।

महाराष्ट्र

जैतापुर परमाणु पॉवर प्लांट : फ़्रांसीसी कंपनी ने दिया एनपीसीआईएल को नया प्रस्ताव

दिल्ली 16 जुलाई 2017, पीटीआई; ई.डी.एफ ने प्रस्ताव रखा है की अभियांत्रिकी की और खरीदी के एक बड़े हिस्से की ज़िम्मेदारी ई.डी.एफ लेगी और चाहती है की भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम निर्माण की ज़िम्मेदारी उठाये।

फ्रांस की एक कंपनी जैतापुर में छः परमाणु रिएक्टर बनाने वाली है। उस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कंपनी ने एक नयी योजना प्रस्तुत की है जिसमें कंपनी ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है।

ई.डी.एफ और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने इस वर्ष के अंत तक जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रके लिए जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट (जी.एफ.ए) पर हस्ताक्षर करने का निश्चय किया है।

नाम गप्त रखने की शर्त पर ई.डी.एफ के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल के अंत में संभवतः फ्रांस के राष्ट्रपति ईमनुएल मैक्रॉन भारत में दौरे पर रहेंगे और इसलिए दोनों तरफ से समझौते की प्रक्रिया को तेज़ किया जा रहा है ताकि इस दौरान ही जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा सके।

इसी बीच ई.डी.एफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की।

ज्ञात हो कि ई.डी.एफ 1650 मेघावाट की क्षमता वाले छः रिएक्टर बनाने वाला है। परिचालित होने पर यह प्रस्तावित संयंत्र जो की मुंबई से लगभग 500 कि.मी. दक्षिण की ओर स्थित है, वह भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा उत्पादन पार्क बन जाएगी। किसी भी परमाणु संयंत्र के निर्माण की चर्चा तीन मुख्य बिन्दुओ पर की जाती हैं - अभियांत्रिकी, खरीदी एवं निर्माण।

ई.डी.एफ के अधिकारी ने बताया की कंपनी ने अभियांत्रिकी और उपकरणों की खरीदी के एक बड़े हिस्से की ज़मीदारी लेने का प्रस्ताव रखा है जिन्हें विदेश से मंगवाना है।

यह प्रस्ताव अरेवा के प्रस्ताव से अलग है जो इस प्रस्तावित संयंत्र के प्रारंभिक समझौता वार्ता में रखा गया था। ज्ञात हो कि अरेवा को ई.डी.एफ द्वारा ले लिया गया है।

ई.डी.एफ दूसरी तरफ इस बात पर ज़ोर दे रही है की भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम निर्माण का कार्य देखे क्योंकि उसे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनुभव है।

दूसरी तरफ एनपीसीआईएल का कहना है कि ईपीआर प्रौद्योगिकी भारत के लिए नया है और इसलिए वह चाहती है कि ई.डी.एफ अभियांत्रिकी, खरीदी एवं निर्माण की पूरी ज़िम्मेदारी उठाये।

जी.एफ.ए तीन पहलुओं पर टिका हुआ है -न्यूनतम दर, ऋण और functional reference plant और अभी तक एनपीसीआईएल द्वारा नए प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

ई.डी.एफ के अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय और फ्रांसीसी कोष विभाग के बीच ऋण से सम्बंधित समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही है। ईडीएफ के अधिकारी ने बताया कि उसमें से एक हिस्सा यूरो में होगा और बाकि सब रुपये में।

फ्रांस के एक अधिकारी ने आशा करते हुए बताया कि संभवतः फ्लामनविल ईपीआर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जिसे संदर्भित संयंत्र बनाया गया है वह 2018 तक कमीशंड होगी। अधिकारी ने आगे बताया की ईडीएफ एक और ईपीआर संयंत्र की स्थापना कर रहा है चीन के गुआन्डोंग प्रान्त के ताईशान में और वह भी इस वर्ष के अंत तक परिचालित हो जाएगा।

खनन विरोधी आंदोलन के समर्थन में आये 40 देशों के जन संगठन

महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के सुरजागड़ क्षेत्र में 70 ग्राम सभाओं द्वारा संसाधनों की लुट और दमन के खिलाफ चल रहे जन संघर्ष को 40 से ज्यादा देशों में जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे 70 से ज्यादा जन संगठनों ने गडचिरोली में चल रहे खनन विरोधी जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, झाम्बिया, टुनीशिया, मोरिशश, सयुक्त राज्य अमेरिका (USA), तंज़ानिया, बंगलादेश, वेनुजुएला, अल्जेरिया, इक्वाडोर, चिली, अर्जेन्टीना, पेरू, यूनाइटेड किंगडम (UK), पोर्तोरिको, स्वीडन, पलिस्तिन, मैक्सिको, रोद्रिगुए आयलैंड, क्यूबा, कनाडा, जर्मनी, पारागुए, अर्बेनिया, हैती, कश्मीर, कुर्दिस्तान, झिम्बाब्वे, केनिया, मोरोक्को, घाना, नेपाल, नायजेरिया, श्रीलंका, बुर्किना फ़ासो, पाकिस्तान, सेनेगल, त्रिनिदाद अंड टोबैगो यादी। हम देश भर के जन संगठनों, राजनैतिक दलों, बुध्दिजीवीओं, युवाओं से अपील करते है की वे गडचिरोली में जबरन थोपी जा रही इन खनन परियोजनाओं की वास्तविकता समझें, स्थानिय लोगों पर किये जा रहे दमन और हिंसा की घटनाओं के विरोध में आवाज उठाये;

गडचिरोली जिल्हे (महाराष्ट्र राज्य) के सुरजागड़ क्षेत्र में चल रहे संसाधनों की लुट और दमन के खिलाफ के जनता के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, और पूंजीवादी लुट के खिलाप आवाज को बुलंद करके जन केन्द्रित विकास प्रक्रिया को मजबूती देने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जमीन के अधिकार को लेकर काम करने वाले जन संगठनों ने अपना समर्थन जारी किया है।

वर्त्तमान में गडचिरोली में किये जा रहे खनन प्रयासों का विरोध करते हुए सुराजगड़ में खनन और अन्य प्रस्तावित खदानों के खिलाप चल रहे स्थानिक जनता के संघर्ष को समर्थन देते हुए विभिन्न जन संगठनों ने आंतरराष्ट्रिय समर्थन पत्र जारी किया। इस समर्थन पत्र में कहा की "ये सभी खदाने मूलनिवासी समुदायों के पूजा स्थलों को, उन्हके संस्कृती को नष्ट कर देंगे, साथ ही इन्ह खदानों से पर्यावरण का भी भारी नुकसान होंगा", और आगे ये स्पष्ट किया की "हम मध्य भारत एवं विशेषतः गडचिरोली क्षेत्र में विनाशकारी खनन के खिलाप संघर्ष कर रहे स्थानिक मूलनिवासी एवं अन्य समुदायों के आंदोलन के साथ एकता मे खड़े है और हम उनके जनतान्त्रिक संघर्ष का समर्थन करते है। हम लोकतान्त्रिक तरीके से खनन का विरोध कर रहे स्थानिको और आंदोलन कार्यकर्तायों पर सरकार द्वारा किये जा रहे सरकारी दमन की कड़ी निंदा और विरोध करते है। कारपोरेट घरानों के अधिपत्य को प्रस्थापित करने हेतु विरोध के हर एक स्वर को भारी सैनिकरण, फर्जी मुकदमों में गिरफ्तारिया, प्रताड़ना और हत्या जैसे हिंसक तरीकों की सरकारी निति का हम विरोध करते है।"

अपने समर्थन पत्र में आगे इन्ह जन संगठनों और आंदोलन भारत की केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार से ये आवाहन किया है की वे स्थानिक मूलनिवासी एवं अन्य समुदायों के विरोध के तरफ ध्यान दे और जनता की मांगों को माने-

1. सुरजागड़ पहाड़ पर खनन को तुरंत रोका जाये और सुराजगड़ पहाड़ पर खनन को लेकर किये सभी प्रस्ताव रद्द करे।
2. गडचिरोली जिल्हे में प्रस्तावित सभी खदाने (सुरजागड़, बांडे, झेंडेपार, दमकोंडवाही, पुसेर) के पर्यावरण मंजूरी रद्द किये जाये।
3. खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों और कार्यकर्तायों के ऊपर लगाये गए सभी मुकदमे तुरंत रद्द किये जाये, जेल में बंद बेगुनाह ग्रामीणों को तुरंत रिहा किया जाये।
4. क्षेत्र में खनन के सुरक्षा में किये जाये रहे सैनिकरण को रोका जाये, और पेसा, वन अधिकार जैसे जनपुरक कानूनों का प्रभावी अमल किया जाये।

झारखण्ड

जबरन भूमि अधिग्रहण, कॉर्पोरेट लूट और सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान

झारखण्ड के थियोलॉजिकल हॉल, गोस्नर मिशन कम्पाउंड, रांची में भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में चल रहा दो दिवसीय जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन 29-30 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश के 12 राज्यों से आए 400 से भी ज्यादा जनसंघर्षों के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित स्वर में जबरन भूमि अधिग्रहण, कॉर्पोरेट लूट और सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया।

सम्मेलन के अंतिम दिन 30 जून के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा (केनिंग लेन) से हन्नान मोल्लाह ने कहा कि भूमि अधिकार आंदोलन न सिर्फ जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जल-जंगल-जमीन के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर तेज की जाएगी। राज्यों में भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में विभिन्न जनसंघर्षों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा और इस समन्वय के दौरान दो दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच लेकर जाएंगे।

अखिल भारतीय वन श्रमजीवी यूनियन से रोमा मलिक ने कहा कि आज जनांदोलनों के साथियों के सामने परिस्थितियां संकटपूर्ण है। शासक वर्ग किसी भी तरह के विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि एक क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दों पर लड़ रहे जनसंघर्ष आपस में एकता तथा समन्वय स्थापित करें तभी वह शासक वर्ग की दमनकारी नीतियों का मुकाबला कर पाएंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं है बल्कि वर्गीय लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को आगे इंकलाब तक लेकर जाना है।

अखिल भारतीय कृषक खेत मजदूर सभा के सत्यवान ने कहा कि जिस तरह से पूंजीपति वर्ग जबरन किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर रहे हैं और उसे विकास का नाम देते हैं उसी प्रकार जनता को एकजुट होकर इन पूंजीपतियों के विशालकाय भवनों पर कब्जा करके वहां खेती करनी होगी। और वही देश का असल विकास होगा। इस लड़ाई में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पुरूष साथी मुआवजे पर आकर समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं वहीं महिलाएँ लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने का जज्बा रखती हैं। उन्होंने कहा कि बिना महिलाओं की अगुवाई के हम इस लड़ाई को मुक्कमल अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे।

जनसंघर्षों की भविष्य की रणनीति पर सम्मेलन में 30 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भूमि सुधार, बीजों पर किसानों का हक, जल तथा प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का हक, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की विकास नियोजन में भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के निजीकरण पर रोक, सांप्रदायिक तथा फासीवादी राजनीति का प्रतिरोध, दलित तथा आदिवासियों के साथ अन्याय का खात्मा, आंदोलनकारियों पर लगाए गए फर्जी केसों को वापस लेने, एएफएसपीए (AFSPA) को रद्द करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्यीकरण खत्म कर शांति बहाल करने जैसे अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव रखा गया। इन प्रस्तावों को सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पारित किया।

सम्मेलन के बाद सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे बिरसा चौक से शुरू हुई रैली हिनू, डोरंडा, ऐजी मोड़, राजेंद्र चौक होते हुए गोस्सनर कोलेज मैदान में आकर सभा में बदल गई। सभा को डॉ. सुनीलम, हनान मुल्ला, बिनोद सिंह, कुमार चन्द्र मार्डी, राजेंद्र गोप, सत्याबन, रोमा मलिक आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन दयामनी बारला ने किया।

भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा केंद्र और राज्यों में लड़ाई को तेज करने के लिए आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की गई जो निम्न हैं-

1. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा नई दिल्ली के नीति आयोग के समक्ष 3 जुलाई, 2017 को बुलाए गए धरने में भागीदारी और समर्थन।
2. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा मंदसौर से नई दिल्ली तक 6 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली किसान मुक्ति यात्रा में भागीदारी और समर्थन।
3. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अन्य मंचों के सहयोग से भूमि अधिकार आंदोलन का 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर किसान मार्च।
4. भविष्य की कार्रवाइयों की कार्यदिशा तय करने हेतु एकजुटता के विस्तार के लिए सभी किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय सम्मेलन तथा चार साझा मांगों के साथ प्रधानमंत्री को सौंपा जाने वाला ज्ञापन 1. एमएस स्वामिनाथन आयेाग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन लागत के 50 फीसदी ऊपर तय किया जाए और खरीद केंद्रों की गारंटी दी जाए। 2. किसानों की समग्र कर्जमाफी। 3. मवेशी बाजार में मवेशियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध से संबंधित केंद्र सरकार की किसान-विरोधी अधिसूचना को वापस लिया जाए। 4. कृषि के साथ मनरेगा को जोड़ते हुए उसका समग्र क्रियान्वयन।
5. सभी सीमांत और 60 वर्ष से ऊपर किसान एवं कृषि मजदूरों को 5000 मासिक पेंशन दी जाए।
6. भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा सभी राज्यों में संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का अगले तीन माह में गठन किया जायेगा।
7. 9 अगस्त 2017 को सभी जिलों में विशाल किसान रैलियां आयोजित किए जायेंगे।
8. नर्मदा घाटी से बिना मुआवजे, बिना सम्पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था किए 40,000 से अधिक परिवारों को हटाए जाने के खिलाफ़ मजदूरों-किसानों का एक व्यापक गठबंधन के द्वारा प्रतिरोध किया जायेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथियों से चर्चा कर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का अयोजन किया जायेगा।
9. 7 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर गाय के नाम पर जारी सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ देश व्यापी प्रतिरोध किया जायेगा. हत्या के जिमेदारों पर कठोर कार्यवाही की जाए तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में इन घटनाओं की जाँच करवाई जाये तथा प्रभावित परवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए. इसके विरोध में भूमि अधिकार आंदोलन मजदूर संगठन, किसान, छात्र संगठनों के साथ मिल कर अभियान शुरू करेंगा।
10. भूमि अधिकार आंदोलन के समन्वय को बेहतर करते हुए किसान संघर्ष के समर्थन में अभियान सामग्री का प्रकाशन करना।
11. सीएनटी, एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक को हर हाल में रद्द करवाने के लिए झारखण्ड भूमि अधिकार आंदोलन के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा। झारखण्ड सरकार विधानसभा सत्र में सीएनटी, एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक रद्द नहीं करती है तो भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले संसद का घेराव किया जायेगा।
12. भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में सांसदों का एक जाँच दल सहारनपुर में दलित हिंसा के शिकार परिवारों से मिलने जायेगा।

झारखण्ड के लिए आगामी कार्यक्रम

1. सीएनटी, एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक को हर हाल में रद्द करवाना।
2. 12 जुलाई को विधानसभा मार्च (विधानसभा सत्र के दौरान)
3. सरकार यदि 11 जुलाई 2017 से 17 जुलाई 2017 तक आयोजित विधानसभा सत्र में सीएनटी, एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक रद्द नहीं करती है तो भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले संसद का घेराव किया जायेगा।

सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ विधान सभा घेराव

भूमि अधिकार आंदोलन ने 29-30 जून के सम्मेलन में झारखंड के आदिवासी, मूलवासियों, किसान, मेहनतकश, काश्तकार समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष करने के निर्णय लिया है। इसी निर्णय के साथ 8 अगस्त 2017 को विधान सभा घेराव किया। मांग निम्न थी-

1. सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन बिल पूरी तरह निरस्त किया जाए।
2. सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को कडाई से लागू किया जाए।
3. पांचवी अनुसूचि के प्रावधानों को कडाई से लागू किया जाए।
4. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए।
5. जनविरोधी महुआ नीति को वापस लिया जाए।
6. किसानों का कर्जा माफ किया जाए।
7. आत्महत्या किये किसानों के परिवार को 20-20 लाख रूपए मुआवजा दिया जाए।
8. आदिवास, मूलवासी विरोधी वर्तमान स्थानीयता नीति को खारिज किया जाएगा, सदियों से जल जंगल जमीन के साथ रचे बसे आदिवासी मूलवासियों के सामाजिक मूल्यों, भाषा, संस्कृति, इतिहास को आधार बनाकर 1932 के खलिहान को आधार स्थानीयता नीति को पुर्नपरिभाषित कर स्थानीयता नीति बनायी जाए।

यूरेनियम माईन्स के विरोध में तुरामडीह विस्थापित समिति का धरना आश्वासन के साथ समाप्त

झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तुरामडीह यूरेनियम माईन्स के विरोध में तुरामडीह विस्थापित समिति पूर्वी सिंहभूम द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन 28 अगस्त को अपने 15वें दिन प्रशासन के साथ मिले आश्वासन पर समाप्त हो गया। गौरतलब है कि धरने पर बैठे आंदोलनकारी तुरामडीय यूरेनियम माईन्स के इलाकों से विस्थापित हैं। विस्थापन के समय मिली 10 नौकरियां अब छूट चुकी हैं। इसी के साथ यूरेनियम माइनिंग की वजह से पूरे इलाके का पानी प्रदूषित हो चुका है जिसकी वहज से लोग तरह तरह की जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे यह विस्थापित स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले से धरने पर बैठे हुए थे। तुरामडीह विस्थापित समिति बैनर तले जारी आंदोलन की निम्न मांगे थीं :-

1. अनुकम्पा के आधार विस्थापित कर्मचारियों के आश्रितों को अविलम्ब नौकरी प्रदान किया जाय।
2. सेवा मुक्त विस्थापित कर्मचारियों के आश्रितों को अविलम्ब नौकरी प्रदान करें।
3. विस्थापितों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी प्रदान किया जाय।
4. नौकरी से बर्खास्त किये गए विस्थापित कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान किया जाय।
5. विस्थापित युवराज कुंकल एवं सुरेश मुर्मू को अविलम्ब पुनः नियोजन प्रदान किया जाय।
6. टेलिंग पोंड निर्माण में बरती गयी अनियमितता का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए।
7. तुरामडीह माइंस में अवैध वसूली एवं टेंडर में रंगदारी मामले का उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए।
8. फिरि में हाजरी बना कर देश के साथ गद्दारी करने के मामले में उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए।
9. यूसीआईल तुरामडीह माइंस को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्ट अधिकारी गिरीश गुप्ता को हटाया जाय।
10. सेवा निर्वित योजना के तहत गैर विस्थापित कर्मचारियों के पुत्रों के नियोजन को बंद किया जाय।
11. अप्रेंटिस कर चुके कान्हू टुडू, दशरथ टुडू, देवाशीष दास, रमन कुमार झा को नियोजन प्रदान किया जाय।
12. मेसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के बर्खास्त 14 मजदूरों को पुनः नियोजन प्रदान किया जाय।

किसान आंदोलन विफल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला किसानों पर हमला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में 19 सितंबर से किसानों पर एक तरह का हमला बोल रखा है। हर जगह किसान नेता और कार्यकर्ता ढूंढ-ढूंढ कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यहां तक कि चलती बस से लोगों को उतारा जा रहा है। और इस सबकी वजह है छत्तीसगढ़ में सूखा घोषित कर फसल ऋण माफ़ करने की मांग, पिछले तीन सालों से बोनस भुगतान और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत मूल्य का डेढ़ गुना लाभकारी समर्थन मूल्य के रूप में देने को लेकर जिला किसान संघ और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में हज़ारों किसानों की राजनांदगाँव से रायपुर की ओर जाने वाली किसान यात्रा जो 19 सितम्बर से शुरु होने वाली थी। यात्रा के तहत 21 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर प्रदर्शन करेंगें। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना किसान विरोधी चरित्र दिखाते हुए 19 सितंबर से ही किसानों का राजकीय दमन शुरु कर दिया। इस सबके बावजूद तय कार्यक्रम के तहत आज अलग-अलग स्थानों से किसान मुख्यमंत्री के घेराव के लिए रायपुर पहुचं रहे हैं। पढ़िए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट;

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकाँश जिलों में धारा 144 लगा दिया है, रेलवे-बस स्टैंड का तलाशी लिया जा रहा है, एक साथ सायकल स्टेंड में सायकल खड़े होने पर भी मनाही है, हर सुरत में छत्तीसगढ़ सरकार किसानो को एकजुट होने नही डे रही है, किसान नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुन-चुन के रात में घरो से उठा कर गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई कार्यकर्ता सफर में है उसे उस सफर के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए, क्योकि किसान फसल कर्ज माफ़ी, पिछले तीन वर्षो का बोनस, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशो के अनुसार समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने एवं फसल बीमा भुगतान की प्रमुख मांगो को लेकर किसान संकल्प यात्रा निकाल रही है, किसान शान्ति पूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा फिर एक बार सामने आ गया है। सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को दमनात्मक तरीके से कुचलने में लगी है। सरकार किसानों के आंदोलन से घबरा गई है लगभग अधिकाँश किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, अधिकाँश गांवो में पुलिस के बेरीकेट्स लगा के ग्रामीणों को गाँव में ही घेर लिया गया है।

खबर है कि फसल कर्ज माफ़ी, पिछले तीन वर्षो का बोनस, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने एवं फसल बीमा भुगतान की प्रमुख मांगो को लेकर दिनांक 19 सितम्बर 2017 से शुरू होने वाली संकल्प यात्रा के किसानों को राजनांदगांव में गिरफ्तार कर रोका गया था जो किसानो के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर हमला है। पूरे प्रदेश में जगह-जगह किसानों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर विरोध जताया। उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में तो 20 हजार किसानों ने एकजुट होकर विरोध किया। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने बताया कि 15 सितम्बर 2017 को जिला किसान संघ एवं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने पुलिस प्रसाशन के साथ सहयोग करते हुए संकल्प यात्रा के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी लिखित में दी थी और प्रसाशन ने 19 सितम्बर से शुरु होने वाली यात्रा का पूर्ण आश्वासन दिया था और यात्रा के राजधानी में आने के रास्ते को स्वीकृत किया था। परन्तु अकस्मात ही 18 सितम्बर की रात से ही गाँव में पुलिस द्वारा मुनादी करवा कर किसानों को यात्रा में शामिल न होने की हिदायत दी गई और सुबह सुबह जिला किसान संघ के सुदेश टेकाम, रमाकांत बंजारे, चंदू साहू, छन्नी साहू, संजीत, मदन साहू सहित सैकड़ो लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कदम न सिर्फ लोकतंत्र पर हमला है बल्कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आत्मघाती साबित होगा।

विदित हो की राजनांदगांव के 50 हजार किसानो ने 28 अगस्त 2017 को अनुशाषित प्रदर्शन कर यह दिखलाया था की उनका कानून और व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और वो अपनी जायज मांगो को मांग रहे है।

भूमि अधिकार आंदोलन : छत्तीसगढ़ में किसानों पर जारी सरकारी दमन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

नई दिल्ली/ छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन से घबराई सरकार ने बौखलाहट में तमाम जिलों से रायपुर आ रहे किसानों पर दमन शुरू किया है। यह किसान आंदोलन जो मूलत: राज्य के मुख्यमंत्री रमण सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव व उनके मूल निवास जिले कवर्धा से शुरू हुआ था अब छत्तीसगढ़ के हर जिले में फैल चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और राज्य सरकार उनकी मांगें सुनने की जगह उन्हें जेल का रास्ता दिखा रही है। छत्तीसगढ़ में आज घोषित रूप से आपातकाल थोप दिया गया है। भूमि अधिकार आंदोलन राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी दमनात्मक कार्यवाही की भर्त्सना करता है और सरकार को यह चेतावनी भी देता है कि उसकी इन कार्यवाहियों से किसानों के इस आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता बल्कि इसके तेवर और उग्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि फसल कर्ज माफी, पिछले तीनों साल के धान बोनस, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने एवं शेष बचे गांव को खरीफ 2015 का फसल बीमा भुगतान करने की मुख्य मांगो को लेकर किसान 19 सितंबर से रायपुर कूच कर रहे थे। इस प्रदर्शन को लेकर पहले राज्य सरकार के संबंधित विभागों ने सहयोगात्मक रवैया दिखाया लेकिन जिस तरह से भारी मात्र में गाँव गाँव से किसानों ने रायपुर के लिए निकलना शुरू किया, राज्य सरकार के हाथ-पाँव फूल गए और फिर शुरुआत में मुख्य रूप से दो जिलों कवर्धा व राजनांदगांव में धारा 144 थोप दी गयी व गाँव-गाँव में मुनादी करवाई गयी कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू है अत: अपने अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। जो किसान सड़क पर आ चुके थे उन्हें बिना पूर्व सूचना के पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और जेलों में भेज दिया गया। आंदोलन के मुख्य नेताओं को उनके घरों से उठा लिया गया। लगभग 200 की संख्या से ज्यादा किसान व किसान नेता अभी छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में हैं। उनकी रिहाई कब होगी किसी को कुछ पता नहीं। आंदोलन के साथियों से जो ख़बरें मिली हैं उनके अनुसार इस आंदोलन को कुचलने और इसके दमन की कार्यवाहियों का पूरा मामला खुद मुख्यमंत्री रमण सिंह देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी केवल रमण सिंह के हुक्म की तामिल कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि क्या करना है।

आज हालात यह है कि रायपुर को चारों दिशाओं से जोड़ने वाले सभी मार्गों पर पुलिस का पहरा है। आज फिर से आंदोलन के सभी प्रभावी नेताओं जिनमें श्री आनद मिश्रा, अरविन्द नेताम, आलोक शुक्ला, कामरेड संजय पराते, लाखन सिंह, राजिम केत्वास, संकेत ठाकुर, शत्रुघ्न सिंह, सौरभ मिश्रा, जनक लाल ठाकुर, रमाकांत बंजारे, चंदू साहू, छन्नी साहू, सुदेश टेकाम आदि को अलग अलग जेलों में रखा गया है।

भूमि अधिकार आंदोलन तत्काल इन समस्त किसान नेताओं व किसान साथियों को रिहा करने की मांग करता है और किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की मांग करता है। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में आपातकाल की स्थिति बनाये जाने पर राज्य सरकार की किसानों के प्रति असंवेदनशीलता व सत्ता में चूर घमंड की भर्त्सना करता है। भूमि अधिकार आंदोलन 'किसान संकल्प यात्रा' का पुरजोर समर्थन करता है और किसान महासंघ व छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ अपनी सॉलिडेरिटी प्रेषित करता है।

- किसानों की मांगें पूरी करो।
- गिरफ्तार किये गए सभी आंदोलन कारी साथियों को तत्काल रिहा करो।

हन्नन मुल्ला, मेधा पाटकर, डॉ सुनीलम, कॉमरेड सत्यवान, प्रेम सिंह, अशोक चौधरी, रोमा, राघवेन्द्र, अनिल चौधरी

(भूमि अधिकार आंदोलन की ओर से)

हिमालय दिवस : एशिया के सबसे बड़े बांध से हिमालय खतरे में, विरोध में संघर्ष का संकल्प

आज हिमालय दिवस है। अनेक कार्यक्रमों से सरकार हिमालय बचाने का संदेश दे रही है। लेकिन हक्कीकत इससे उलटी है सरकार ने हिमालय को खत्म करने की शुरुआत कर दी। ये शुरुआत हो रही है एशिया के सबसे बड़े पंचेश्वर बांध के साथ। हिमालय दिवस पर माटू जनसंगठन ने 'बांध नहीं -सुरक्षित हिमालय चाहिए' नारे के साथ हिमालय के विनाश के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया है। पढ़े माटू जनसंगठन का बयान;

'हिमालय दिवस 9 सितंबर' उत्तराखंड सरकार हिमालय दिवस के लिए इस बार बहुत तैयारी कर के बैठी है और पूरे भारत सरकार ने भी हिमालय दिवस के लिए तैयारियां की है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। मात्र हिमालय दिवस मनाने से ही हिमालय की सुरक्षा नहीं होगी। बल्कि हिमालय की पीड़ा को समझना ज्यादा जरूरी होगा। आज हिमालय किन कारणों से पीड़ित है आइए उनकी विवेचना करें। हिमालय अगर पीडित है तो वह है विकास से।

इस कथाकथित विकास ने हिमालय को भेद कर रख दिया है। इन विकास कार्यों में हजारों बल्कि लाखों एकड़ जंगल खत्म कर दिया गया हैं। सडकों में, बांधों में और अन्य कार्यों में; और जो बचा खुचा जंगल है भी उस पर भी वन विभाग की कृपा से विनाश हो ही रहा है। हिमालय के मूल तत्व है बर्फ, नदियां व जंगल और इसके रक्षक है यहाँ के निवासी। पूरे हिमालय में नीचे हरा आवरण और ऊपर नीचे श्वेत धवल बर्फ का आवरण। बर्फ का आवरण हिमालय के पूरे स्वास्थ्य का रक्षक ही है। बर्फ का होना और वृक्षों से आच्छादित होना पूरे हिमालय के लिए दो जरूरी बातें रहीं। जैसे-जैसे हमने विकास योजनाओं को हिमालय में तरजीह दी है वैसे-वैसे ही हिमालय में ग्लेशियर का नीचे होना शुरू हुआ है, जंगलों का कटान हुई है। बांध बनने से बादलों का फटना ज्यादा हुआ है।

टिहरी बांध बनने के बाद बादल फटने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। बड़ी चौड़ी सड़को के बनने के कारण से भूस्खलन बढे हैं। जहां पर भी सड़के चौड़ी हुई हैं वहां पर ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, जिस कारण से सड़क बनने के थोड़े ही समय बाद भूस्खलन चालू हो जाते हैं। ये सरकारें इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने 15 अगस्त को राज्य के सभी लोगों से एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने के लिए कहा था। दूसरी तरफ बांधो में तो हजारो लाखों हेक्टेयर जंगल सीधे ही डूब रहा है। अभी अगस्त महीने ही में पंचेश्वर बांध की जनसुनवाईयाँ जिस तरह हुई हैं उसमें पूरी तरह हिमालय के हक़ को नाकारा गया है। सरकारें बांध विकास के नाम पर ला रही हैं, दूसरी तरफ हिमालय के रक्षण की बात करते हैं। एक पेड़ लगाने की बात करते हैं दुसरी तरफ हजारों हेक्टेयर जंगल डूबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।

तो ये कथनी और करनी का अंतर मालूम पड़ता है। नदियां हिमालय की बेटियां है। हम सरकारों को यह फिर से याद दिलाना चाहेंगे की जून 2013 के समय शायद ही कोई बांध बचा था जिसपर नदियों ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया था। नदियां खास कर गंगा, बांधों को तोड़ कर आगे बढ़ी थी और बांधों के कारण से जहाँ-जहाँ गंगा का प्रवाह रुका वहां-वहां तबाही और हुई। बांधों के निर्माण में विस्फोटकों के इस्तेमाल के कारण भूस्खलन उन क्षेत्रों में ज़्यादा हुए। हमने हमेशा ही इस बात को सरकारों के सामने रखा है किन्तु अफ़सोस है की आजतक गंगा को माँ मानने वाली सरकार और अब जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, वो भी इस मामले में पूरी तरह मौन ही नहीं अपितु उसके खिलाफ काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश

गेल कंपनी गेट पर किसानों ने जड़ा ताला

गेल की वादाखिलाफी से परेशान हो चुके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के किसानों ने आज 11 सितंबर को गेल गेट पर प्रदर्शन करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया है।

अपने मुआवजे के लिए गेल से कई बार गुहार लगा चुके किसानों ने कहा है कि अगर 18 सितंबर, 2017 तक 17 गांवों का मुआवजा और पूर्व की किसानों की सभी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो वे दीपाखेड़ी सब स्टेशन को अपने कब्जे में ले गैस आपूर्ति बंद कर देंगे, जिसका जिम्मेदार गैल इंडिया मैनेजमेंट होगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 15 जून, 2015 को क्षेत्रीय सांसद हुकुम सिंह द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी इंद्रवीर यादव, गेल इंडिया अधिकारियों और किसानों के मध्य एक समझौता पारित कराया गया था, जिसमें तय किया गया था कि गेल इंडिया से प्रभावित किसानों को समतलीकरण का पचास रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा 53 गांवों में तो दिया गया, लेकिन 17 गांव जो दीपाखेड़ी से दंकोवाली तक पड़ते हैं, वहां के किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

अब गेल अधिकारी उन 17 गांवों को यह कहकर मुआवजा देने से साफ इंकार कर रहे हैं कि यह लाइन एचपीसीएल की है, जबकि जब मुआवजा तय किया गया था किसानों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसानों का कहना है कि उन्होंने तब गेल के नाम पर ही समझौते पर हामी भरी थी।

अपने मुआवजे के लिए किसान कई बार गेल के नोएडा आॅफिस में संपर्क कर चुके हैं, मगर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे गुस्साए किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक उनका मुआवजा नहीं मिल जाता वे लोग गेल द्वारा प्रस्तावित किसी भी काम को क्षेत्र में नहीं होने देंगे।

जनांदोलनों ने की राजबहादुर पटेल की रिहाई की मांग

किसान पुनर्वास कल्याण सहायता समिति, करछना, इलाहाबाद के अध्यक्ष राज बहादुर पटेल को 30 अगस्त 2017 को इलाहाबाद के जिला न्यायालय ने सेंट्रल जेल नैनी भेज दिया। राज बहादुर पटेल करछना में जे.पी. पॉवर प्लांट के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। राज बहादुर पटेल सितंबर 2015 में करछना आंदोलन पर हुए राजकीय दमन के बाद से ही भूमिगत चल रहे थे।

किसान संघर्ष समिति, जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय,जन संघर्ष समन्वस्य समिति, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वस्य समिति किसान नेता राजबहादुर पटेल की बिना शर्त रिहाई तथा सभी मुकदमे वापस लेने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि जे पी थर्मल प्लांट द्वारा जमीने अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ आंदोलन के चलते 49 साथियों पर 14 प्रकरण दर्ज किए गए थे। आंदोलन के चलते अभी तक प्लांट स्थापित नहीं किया जा सका है। उच्च न्यायालय ने भी अधिग्रहण निरस्त कर दिया है। 30 अगस्त को जयपुर में जनसंघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजबहादुर पटेल की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

सभी जन संगठनों के साथियों से अपील है की वे राज बहादुर पटेल की बिना शर्त रिहाई के लिए ज्ञापन सौंपे, बयान जारी करें।

जिला मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक अधिकार अभियान का प्रदर्शन

18 सितम्बर 2017, गुजरात के सभी 33 ज़िला कलेक्टर को माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमिटी के बैनर तले अल्पसंख्यक समुदाय ने एक साथ ज्ञापन सौंपे। गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय अधिक वंचित वर्ग है, इनको साम्प्रदायिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पेश माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमिटी की विज्ञप्ति;

गुजरात में अल्पसंख्यकों के विकास, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए 8 सूत्रीय मांगों के साथ अल्पसंख्यक अधिकार अभियान शुरू किया गया। इसके प्रथम चरण में गुजरात से सभी जिलों से 1 लाख पोस्टकार्ड माननीय मुख्यमंत्री गुजरात को लिखे गए। मात्र पोस्टकार्ड लिखने से राज्य सरकार नें प्रधानमंत्री के नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन शुरू किया है। मुस्लिम बहुल जुहापुरा में EWS हाउसिंग स्कीम लांच की। वहीँ गुजरात सरकार जो पहले अल्पसंख्यक शब्द से परहेज़ करती थी बीते अगस्त महीने में राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केन्द्रीय मंत्री के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओ का बखान कर रही है। इस अभियान नें सरकार, विपक्ष की शब्दावली में अल्पसंख्यक, मुस्लिम शब्द शामिल करा दिया है। लेकिन अभी भी अल्पसंख्यकों के विकास, रक्षण के मूलभूत प्रश्न पर कोई नहीं बोल रहा है।

अभियान के दुसरे चरण में राज्य के सभी 33 ज़िला मुख्यालयों पर 1 दिन एक साथ 18 सितम्बर को ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन में अभियान की 8 मांगे निम्न थी-

1. राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की जाये।
2. राज्य के बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए ठोस आबंटन किया जाये।
3. राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाये व इसको संवेधानिक मजबूती का विधेयक विधानसभा में पास किया जाये।
4. राज्य के अल्पसंख्यक बहुल विस्तारों में कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूल खोले जाएँ।
5. मदरसा डिग्री को गुजरात बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी जाये।
6. अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये।
7. सांप्रदायिक हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार नीति बनाये।
8. प्रधानमंत्री के नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम का सम्पूर्ण रूप से अमलीकरण किया जाये।

21 अगस्त 2017 से 18 सितम्बर 2017 तक 'अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन' एक महीने के रूप में मनाया गया। इस महीने में राज्य भर में पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अंतिम दिन उक्त मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्य के सभी 33 कलेक्टर को एक साथ दिया गया।

अभियान के तीसरे चरण में राज्य भर से 1 लाख व्यक्तिगत रिप्रजेंटेशन हस्ताक्षर कराकर माननीय मुख्यमंत्री गुजरात को राज्य के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा जायेगा।

देश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमिटी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए तथा देश के अल्पसंख्यक समुदाय को उसका न्यायोचित अधिकार दिलवाने के लिए अपील की है कि जितना ज्यादा हो सके इस अभियान में भागीदारी कर हर संभव मदद करने का प्रयास करें जिससे कि अभियान को और ज्यादा ताकत मिल सके।

असम

अखिल गोगई राष्ट्रद्रोह के फर्जी प्रकरण में गिरफ्तार

कृषक संग्राम समिति, असम के अध्यक्ष अखिल गोगई को असम सरकार द्वारा राष्ट्रद्रोह का फ़र्ज़ी प्रकरण बनाकर जेल भेज दिया गया। अखिल गोगई पिछले एक दशक से अधिक समय से असम के किसानों के प्रतिनिधि संगठन कृषक संग्राम समिति का नेतृत्व करते हुए किसानों के भूमि अधिग्रहण, जैव विविधता, कर्ज़ा मुक्ति, समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना दाम पर खरीद जैसे मुद्दों को लेकर सरकारों को चुनौती देते रहे है।

अखिल गोगई की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से घबराकर प्रदेश की भाजपा सरकार किसान आंदोलन का दमन करने, किसानों को भयभीत करने लिए उन्हे प्रताड़ित करने का हथकंडा अपना रही है।

अखिल गोगई और कृषक संग्राम संघर्ष समिति, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला संगठन है। उनके किसी भी बयान को हिंसा और राष्ट्रद्रोह से जोड़ना गलत है।

सरकारों या सत्तारूढ़ दल का विरोध राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाना सरकार की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का द्योतक है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार देता है तथा कोई भी सरकार विपक्षियों को भी इस अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोक सकती। किंतु सत्तारूढ़ भाजपा सरकार तमाम संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए देश में हर जगह आंदोलन कर रहे किसानों के रूप बर्बर दमन कर रही है। चाहे वह मध्यप्रदेश का मंदसौर हो या फिर छत्तसीगढ़ हर जगह किसानों को आंदोलन करने की एवज में लाठी-चार्ज और जेल का शिकार होना पड़ रहा है। असम के किसान आंदोलन के नेता अखिल गोगई की गिरफ्तारी इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है।

किसानों के साथ किया जा रहा यह सुलूक सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के कॉर्पोरेट चरित्र को स्पष्ट करता है। असम सरकार की कायराना कार्यवाही की निंदा करते हुए किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय, समाजवादी समागम, नशा मुक्त भारत आंदोलन के संयोजक, पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने किसान नेता अखिल गोगई की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग की है।

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आंदोलन की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक पत्रिका है। इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की भी शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आंदोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com

www.sangharshsamvad.org